


कार्यालय, अंचल अधिकारी, चौपारण (हजारीबाग)

ज्ञापांक 1.229. दिनांक 15.10.2022

आदेश

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक 1212 दिनांक 10.10.2022 एवं पूर्व से निर्गत कार्यालय पत्र के तहत शाखा प्रबंधक को निर्देश दिया गया कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में पंजी IX लेकर उपस्थित होंगे, परंतु उनके द्वारा इस केस में कोई रूचि नहीं ली गई, साथ ही यह भी जानकारी नहीं दी गई कि प्रतिवादी द्वारा राशि जमा कर दी गई है अथवा नहीं। यह वाद वर्षों से लंबित रहने एवं शाखा प्रबंधक द्वारा इसमें कोई रूचि नहीं लेने के कारण एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए वाद निष्पादित किया जाता है एवं इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।


अंचल अधिकारी
चौपारण, हजारीबाग